दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हिमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 56 ❑ अंक-15 ❑ दिल्ली ❑ मई, 2018 (प्रथम) ❑ मूल्य : 2 रु.

दिल्ली से कठुआ वाया उन्नाव का परिणाम अब बलात्कारियों को मिलेगी सजा-ए-मौत

● डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिन्दू शास्त्रों में कहा गया है कि–''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता।'' यानी जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। वैसे भी नर और नारी प्रकृति की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। धर्म के क्षेत्र में भी दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। हमारे अराध्य देवों में दोनों की बराबर की उपस्थिति रहती है जब हम शिव–पार्वती, सीता राम और राधा–कृष्ण के नामों का जाप करते हैं। शिव के साथ पार्वती और राम व कृष्ण के साथ सीता व राधा को भी बराबर का सम्मान देते हैं। इस सन्दर्भ में संस्कृत में एक कहावत है–जननी जन्मभूमिश्च गरियसी यानी जननी (माता) और जन्मभूमि दोनों महान हैं। इस कहावत से स्त्रियों के महत्व को समझा जा सकता है। जिस गांव में किसी की भी एक बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, वहीं आज समाज में इतनी गिरावट आ गई है कि उस बेटी को अपने गांव की बेटी न मानकर उसे हवस का शिकार बनाया जा रहा है। देवी के जिन नौ रात्रों में जिन कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर हम उनके पांव पूजते हैं, आज उन्हें अगवा करके पहले उनके साथ बलात्कार करते हैं और फिर उन बच्चियों को गला घोंट कर मार दिया जाता है। देवी पूजक हमारे भारत देश में देवी स्वरूपा बच्चियों के साथ यह बर्बर और बहिश्याना कुकर्म देश के एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे हो रहा है? क्या देश में धार्मिक संस्कारों की जगह मानसिक यौन विकारों ने ले ली है जिन्हें देश के दंड विधान का भी तनिक भी डर नहीं है।

दिसम्बर, 2012 में निर्भया के साथ बलात्कार और उस पर बर्बर हमला, और इसके बाद हुई उसकी मौत ने देश की अन्तरात्मा को झकझोर दिया था। इसे पाशविकता कहकर बयान किया गया था, जबकि उसके साथ बर्बरता की सब सीमायें लांघ कर बलात्कार करने के बाद उसे नंगे बदन बस से नीचे फैंक दिया गया था। वह कुछ दिन जीवित रही अपनी दुर्दशा की कहानी बताने के लिए, पर वह बच नहीं सकी, सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

निर्भया के साथ हुई इस बर्बरता, बलात्कार और अमानवीय व्यवहार के विरोध में पूरे देश में लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, और सभायें करके अपराधियों को तुरन्त फांसी पर लटकाये जाने और बलात्कार के कानून को और अधिक कठोर किये जाने की मांग की। निर्भया बलात्कार कांड के बाद समाजेसवी भी चुप सो गये। उधर सरकार ने अपराधियों को कानून के हवाले करके अपने कर्त्तव्य से इतिश्री कर ली। उसके बाद देश में अनेक स्थानों पर दलित बच्चियों, युवतियों, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और दुष्कर्म करके जान से मार देने की घटनायें हुईं, जिन्हें 'बड़ों की शान' के खिलाफ मानकर दबा दिया गया। अपराधी बलात्कारी को पता है कि पुलिस, कचेहरी, अदालत तक में उस की पहुंच है और वह अपने रसूख, पहुंच और पैसे के बल पर सबको खरीद कर छूट जायेगा। कानूनी फंदा भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए वह खुलकर बलात्कार जैसे बर्बर अपराध करता है और कानून की नजर में पाक साफ बना रहता है क्योंकि पीड़ित पक्ष के पास न जन शक्ति होती है और न धन शक्ति। राजसत्ता व सरकार भी उसके साथ घटी घटना को कोई भाव नहीं देते हुए उसकी शिकायत को 'बस्ता बंद' कर देती है। बेचारा, गरीब दलित अपनी इज्जत लुटने के बाद अपने को ठगा हुआ मान कर खून के घूंट पीकर चुपचाप बैठने को विवश होता है।

पर अब देश में घटे उन्नाव व कठुआ की बलात्कार की घटनाओं ने पूरे देश, समाज और सरकार को हिलाकर रख दिया है। इन बलात्कार और बर्बरता की घटनाओं ने विदेशों में भी भारत की छवि 'रेपिस्ट इंडिया' के रूप में बना दी। संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ.) ने भी इन घटनाओं पर तुरन्त संज्ञान लेने के लिए भारत सरकार को कहा है।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जून 2017 में, एक 17 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप सार्वजनिक जीवन में रह रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर और उसके साथियों पर है। घटना के दो माह बाद पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की कि विधायक

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

अम्बेडकरी कौन?

'अम्बेडकरी' यानी 'अम्बेडकरवादी' यानी 'अम्बेडकराईट' कौन है? अक्सर कुछ छुटभैये बार–बार यह सवाल उठा रहे हैं और अपनी–अपनी छुटबुद्धि के अनुसार इसकी परिभाषा कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का 'ट्रेडमार्क' उन्होंने खरीद लिया हो, या महानिर्वाण से पहले बाबा साहब 'अम्बेडकराईट' की परिभाषा करने का ठेका उन्हें दे गये हों।

हमारे वे कुछ भाई जो दीक्षा लेकर 'नवबौद्ध' बन गये हैं, उनका कहना हे कि वे ही 'अम्बेडकराईट' हैं और बाबा साहब के सच्चे 'फालोवर' हैं और बाकी बचे बाबा साहब की अनुसूचित जाति के लोग 'गद्दार' हैं या 'ब्राह्मणवादी' हैं जो उनकी तरह बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर रहे। इसलिए अब वे 'दलित' नहीं हैं, अब उनका समाज अलग है।

हमारे ऐसे ही कुछ 'चीवरधारे' भाई रविदासियों, कबीरपंथियों, रामदासियों, रामनामियों, दादूपंथियों, सतनामियों, मजहबीयों को 'अम्बेडकराईट' मानने के लिए तैयार नहीं, भले ही बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया हो।

हमारे कुछ भाई 'बौद्धों' को ही 'अम्बेडकराईट' मानते हैं और बाबा साहब के मानने वाले दूसरे भाइयों को वे 'अम्बेडकर' के नाम को बेचने वाले या 'अम्बेडकर मिशन' का दुश्मन कहकर पुकारते हैं, मानों 'अम्बेडकराईट संहिता', उन्हीं के पास हो, और ब्राह्मणों की तरह दलित समाज को अपने अनुसार हांकने का ठेका उन्हें ही दिया गया हो।

क्या ऐसे 'कूप मंडूकों' से डॉ. अम्बेडकर समाज एकजुट हो सकेगा? क्या ऐसे लोगों से डॉ. अम्बेडकर का सपना पूरा हो सकेगा?

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर अछूतों को देश में, 'समता', 'स्वतंत्रता', न्याय और सम्मान दिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सभी अछूत जातियों को इकट्ठा करने के लिए, अनुसूचित जाति का नाम दिया और फिर उनके अधिकारों की लड़ाई में जुट गये। लंदन में हुई दोनों 'राउंड टेबुल कान्फ्रेंस' में उनके व्याख्यान इस बात के साक्षी हैं। उन्होंने वहां साफ कहा कि वे भारत के दलितों के नेता हैं और उसी हैसियत से उनका वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने दावे के आगे उन्होंने गांधी जी के दावे को झुठला दिया था। उनकी दलितों के हित की बात के लिए ब्रितानिया सरकार ने दलितों के लिए 'कम्युनल अवार्ड' की घोषणा की थी, जिसे बाद में गांधी के साथ हुए 'पूना पैक्ट' के समक्ष छोड़ देना पड़ा। पर देश के दलितों (अछूतों) के उत्थान का मसला प्रमुख रूप से देश के सामने आया। यही बाबा साहब डा. अम्बेडकर का सपना था कि यहां के सभी अछूतों (दलितों) को स्वतंत्रता, समता, न्याय व सम्मान के अधिकार मिलें। इससे स्पष्ट हे कि समस्त दलित समाज के डा. अम्बेडकर नेता थे, अगुवा थे, संरक्षक थे। इसी तरह सम्पूर्ण दलित समाज अपने को बाबा साहब डा. अम्बेडकर का अनुयायी, शिष्य और सन्तान मानता है जिनके अधिकारों के लिए सारे जीवन वे संघर्ष करते रहे। बाबा साहब ने येवला की महासभा में 1935 में हिन्दू धर्म से ऊबकर घोषणा की थी कि इसमें पैदा होना उनके बस की बात नहीं है, पर वे इस धर्म में मरेंगे नहीं। इसी लिए मरने से पूर्व उन्होंने दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा थी, और न ही उन्होंने कहीं भी किसी पर बौद्ध धर्म लादने की बात की, क्योंकि वे मानते थे कि 'धर्म' का मामला व्यक्तिगत मामला है, और व्यक्ति प्रभावित होने पर भी उसे अपनायेगा। इसलिये दलित समाज

(शेष पृष्ठ 3 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा दू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार–सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

दलित आन्दोलन में दलित महिलाओं के मुखर होते स्वर

भारत का स्त्री मुक्ति आन्दोलन प्रायः 1975 से माना जाता है। इस समय मथुरा बलात्कार कांड, महंगाई एवं दहेज के विरोध में पूरे भारत से पढ़ी–लिखी महिलाओं द्वारा विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे। 1975 में ही संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया था।

भारत में दलित स्त्रियों का संघर्ष उतना ही पुराना है, जितना उनका अपमान, शोषण एवं गुलामी। भारतीय समाज का एक विशेष लक्षण है वर्णव्यवस्था में बंटा समाज। विभिन्न वर्णों में आपसी दूरियां और समांतर संस्कृति इसकी विशिष्टता है। जन्मगत श्रम का बंटवारा और उसका पालन ही इस व्यवस्था की बुनियाद है।

इस वर्ण विभाजन ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के जन्मजात अधिकार एवं कर्तव्य तय कर दिये। लेकिन धर्म ने उन्हें हमेशा अपने–अपने वर्ण के पुरुषों से कमतर ही रखा। शिक्षा एवं सम्पत्ति के अधिकार से उन्हें वंचित करके उन्हें भोग्या और घर की शोभा बने रहने तक सीमित रखा गया। उन पर धार्मिकों पुस्तकें, जनेऊ धारण करने, मोक्ष पाने के लिए साधना–मंत्र बिना मति गई, मति बना गति गई।'' स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने 1948 में पूना में बुधवार पेठ में कन्या विद्यालय की शुरुआत की। अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ सावित्री बाई ने उच्च कहे जाने वाले वर्ग में विधवाओं के मुंडन और उनके साथ अत्याचार का विरोध किया। साथ ही, विधवा औरतों के बच्चों के लिए आश्रम और प्रसूति कक्षों की शुरुआत भी की।

पूना के ब्राह्मणों ने सावित्री बाई और ताराबाई को धर्म का नाश करने वाली कह कर उनका सामाजिक बहिष्कार किया। 1920 में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध आह्वान किया, तो देश के कोने–कोने से दलित समाज के स्त्री–पुरुष उनके नेतृत्व में एकत्रित होकर अपनी सामाजिक मुक्ति का सपना देखने लगे। इस मुक्ति–पथ पर दलित स्त्रियां भारी संख्या में सक्रिय रहीं। 1925 से 1927 तक महाड़ आंदोलन, जिसमें सार्वजनिक तालाब पर पानी पीने के हक से लेकर सड़क पर चलने के अधिकारों के लिए संघर्ष किया गया, उसमें लगभग 2500 दलित औरतें शामिल थीं।

के बाद 1941 में उसे दोबारा शुरु किया गया। 1941 में समान वेतन कानून लागू हुआ।

उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में महिला प्रमुख नेता शांताबाई वाणी के नेतृत्व में दूसरी अखिल भारतीय महिला परिषद् हुई, जिसमें स्त्रियों ने अपने जीवन के बारे में खुलकर बातें कीं। तीसरा सम्मेलन 6 जनवरी, 1945 में मीनम्बाल शिवराज के नेतृत्व में मुम्बई में हुआ। सम्मेलन में मन्दिरों में जाने एवं पनघट पर पानी भरने के अधिकारों की मांग रखी गई। उन्होंने शासन करने का राजनीतिक हक भी मांगा।

डॉ. अम्बेडकर के ओजस्वी भाषणों को सुनकर शांताबाई ने आजीवन विवाह न करके आंदोलन में प्रतिबद्ध भूमिका निभाई। उन्होंने स्कूल खोले, स्त्रियों में आत्मविश्वास एवं चेतना जागृत की और राजनीतिक प्रतिनिधि बनकर विधानसभा में भी गई।

उत्तर भारत में सरला मौर्या ने दलित स्त्रियों की समस्याओं पर महिला आंदोलन का ध्यान आकर्षित किया। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा आदि राज्यों में ब्राह्मणवाद के विरोध में दलित महिलाएं अपने मानवीय सुलभ दलित परिवार के चार लोगों को पीट–पीटकर मार डाला गया, क्योंकि अगड़ी जातियों की गुलामी न कर वे स्वालंबन की जिन्दगी बसर कर रहे थे। परिवार की दोनों महिलाओं के साथ बलात् दुष्कर्म किया गया। उनकी निर्वस्त्र लाशों को क्षत–विक्षत कर नदी के किनारे फेंक दिया गया। दोनों पुरुषों को भी निर्वस्त्र करके उनके संवेदनशील हिस्सों को कुचल दिया गया।

गुस्से और अपमान की आग में दलित स्त्री कार्यकर्त्ताओं, नेताओं लेखिकाओं एवं कवित्रियों ने संगठित होकर प्रदर्शन किये। बदले में महाराष्ट्र की लेखिकाओं एवे कार्यकर्ताओं पर केस चलाये गये, उन्हें जेल में बंद किया गया और उन्हें डराया–धमकाया गया। इस आंदोलन में अनेक औरतों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, पुलिस द्वारा अपमान सहीं, पर न्याय के लिए संघर्ष जारी रखा। सम्मेलनों, गोष्ठियों और अपने लेखों के जरिए अपने अधिकार की लड़ाई जारी रखी। दलित साहित्य लेखन ने समाज के अन्याय, दमन एवं पितृसत्तात्मक मानदंडों पर लिखकर आंदोलन को सशक्तता प्रदान की।

खैरलांजी के बाद सहारनपुर, (उत्तर प्रदेश) और फिर हरियाणा के विभिन्न जिलों में दलित बच्चियों के साथ हुए बलात् दुष्कर्म काण्ड के विरोध में, दलित महिलाएं सड़कों पर उतरीं। झझर, गोहाना से लेकर भगाना कांड में लिप्त अपराधियों को सजा दिलाने के लिये अखिल भारतीय दलित महिला मंच एवं राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन ने संयुक्त रूप से हरियाणा भवन पर प्रदर्शन किये। बरेली में दो नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के बाद उन्हें पेड़ पर लटका कर फांसी देने के विरोध में राष्ट्रीय दलित महिला आन्दोलन ने महिला संगठनों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश भवन पर प्रदर्शन किये।

हरियाणा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही को लेकर त्वरित कार्यवाही की मांग के साथ ज्ञापन सौंपे। दलित महिलाएं धीरे–धीरे ही सही, पर स्वयं बाहर निकल कर विरोध करने लगी हैं।

•

करने पर रोक लगाई गई। छठी शताब्दी में ब्राह्मणवाद का पूजा पाठ, यज्ञ, छुआछूत, जन्म–पुनर्जन्म के कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे। स्त्रियों औरा दासों का जीवन गुलामी से नासूर बन गया था। तब तथागत बुद्ध ने स्त्रियों को घर–परिवार छोड़कर दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। पितृसत्ता एवं जातीय वर्चस्व को तोड़कर अनेक महिलाओं ने ज्ञान और मुक्ति की राह अपनाई। एक बौद्ध थेरी, सुमंगला माता मुक्ति का स्वर अभिव्यक्त करती हुए कहती है–''मैं मुक्त नारी, मेरी मुक्ति कितनी धन्य, धनकुटे से पिंड छुआ, और देगची से भी।''

थेरी गाथा में वे खुद से कहती है कि अब निर्वाण पाने के लिए वह सुख से चिंतन कर सकती है।

19वीं शताब्दी में सावित्री बाई फुले और ताराबाई शिन्दे, जो पिछड़े समाज में पैदा हुई थीं, ने ब्राह्मणवाद और धार्मिक कर्मकांडों में स्त्री अवमानना के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। ताराबाई शिन्दे कहती है–''तुमने अपने हाथों में सब धन–दौलत रखी, नारी को कोठी में दासी बनाकर घौंस जमाई और उसे दुनिया से दूर रखा.....जहां–जहां ये औरतें जाती थीं, वहां उन्हें अज्ञानी स्त्रियां ही मिलती थीं, ऐसे में ये दुनियादारी की समझ कहां से सीखतीं?''

सावित्री बाई फुले कहती हैं–''शिक्षा

अमरावती में 14 नवम्बर, 1927 को मंदिर में प्रवेश हेतु एवं 25 दिसम्बर, 1928 को 'मनुस्मृति दहन' को लेकर दलित स्त्रियों ने आंदोलन किया। 12 अक्टूबर, 1929 में नानाबाई कोवले के नेतृत्व में करीब पांच सौ औरतों ने मन्दिर में प्रवेश किया। जाईबाई चौधरी के अथक प्रयासों से 1929 में चोखा मेला कन्या स्कूल खोला गया। 1935 में अंजनाबाई ने दलित बच्चियों के लिए हॉस्टल खोला। 'चोखा मेला' नामक पत्रिका के प्रकाशन में तुलसीबाई बनसोड़े ने अपने पति को भरपूर सहयोग किया।

1930 में समता सैनिक दल की स्थापना की साथ–साथ महिला शाखा खोली गई। जगह–जगह महिला गोष्ठियां एवं अधिवेशन होने लगे। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद डॉ. अम्बेडकर के नेतृत्व में कामठी यौनकर्मी औरतों को सम्मानजनक जीवन जीने की राह प्रदान करने के लिए सम्मेलन किया गया।

24 जून से 25 जून, 1942 को नागपुर में 250000 औरतें एकत्रित हुईं, जिसकी अध्यक्षता सुलोचना डोंगरे ने की। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. अम्बेडकर थे। यहां सुलोचना डोंगरे ने अपने भाषण में महिलाओं के आरक्षण की मांग उठाई।

1923 में कोयला खदानों में औरतों का काम बंद कर दिया था, पर संघर्षों अधिकारों के लिए सीधे सड़कों पर उतर आईं।एक ऐतिहासिक मोड़ पर डॉ. अम्बेडकर समिति द्वारा प्रस्तावित हिंदू कोड बिल पेश किया गया, किन्तु तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद समेत कुछ प्रभावशाली कांग्रेसी नेताओं एवं स्त्री दलों ने इस बिल का विरोध किया। कुछ प्रगतिशील महिला नेताओं के साथ मिलकर दलित महिलाओं ने इस बिल के लिए संघर्ष किया।

14 अक्टूबर, 1956 को डॉ. अम्बेडकर ने हिंदू धर्म त्यागकर लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉ. अम्बेडकर की अनुयायी स्त्रियों ने रातोरात अपने घरों में हिंदू देवी–देवताओं की तस्वीरें हटा दी और पंचशील की अनुयायी बन गईं।

अब दलित स्त्री मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन के भीतर भी अपनी अस्मिता एवं नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगा। ब्राह्मणवाद के साथ–साथ पितृसत्ता के विरुद्ध स्वर भी मुखरित होने लगे। बोधगया मुक्ति आंदोलन की एक सक्रिय नेता मधुमाया जयंत ने 'सुजाता वाहिनी' बनाकर स्त्रियों को नेतृत्व प्रदान किया।

29 सितम्बर, 2006 की खैरलांजी की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दलित आंदोलन के शीर्षस्थ नेता एकदम हक्के–बक्के रह गये। महाराष्ट्र के एक गांव में एक

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने कहा था–

● गुलाब चन्द बारासा

*** मानवता के इतिहास** में राष्ट्रीयता एक बहुत बड़ी शक्ति रही है। यह एकत्व की भावना हैं, किसी वर्ग–विशेष के सम्बन्धित होना नहीं।

*** राष्ट्रवाद** तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक–भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

*** धर्म** एक प्रभाव या शक्ति है जो जीवन में घुल–मिलकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। व्यक्ति की क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं, पसन्द तथा नापसन्द को धर्म निश्चित करने में सहायक सिद्ध होता है।

*** लोग** मुझे अभी समझ नहीं पाये हैं और मुझे उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता है। एक समय आयेगा जब इस देश के लोग मुझे ठीक प्रकार से समझ पायेंगे और सम्मान करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा समय आयेगा, तब तक मैं जीवित नहीं रहूंगा।

*** शिक्षा** एक ऐसी वस्तु है, जो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। शिक्षा सस्ती से सस्ती हो ताकि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सके।

*** सच्चे जीवन का नियम** यह है कि हम उच्चादर्शों को अपना ध्येय बनाएं। सभी महान कार्य कष्ट और परिश्रम उठाते हुए सतत उद्योग करने पर सपांदित हो सके है। मनुष्य को जीवित रहने के लिये भोजन करना चाहिए और जीवित रहकर अपने समाज के भले के लिये कार्य करना चाहिये।

*** जब गरूड़ उड़ता है** तो ऊंची उड़ान भरते समय उसे हवा के विरोध का सामना करते हुए ऊपर उड़ना पड़ता है। वह हवा के रूख की मदद नहीं लता। अस्पृश्यों को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए ऊपर उठना है, उन्नत होना है।

*** दलित युवाओं** को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम न रहें, दूसरे ऐशो–आराम में न पड़कर समाज का नेतृत्व करें। तीसरे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी संभाले तथा समाज को जागृत और संगठित कर उसकी सच्ची सेवा करें।

*** ज्ञान** हरेक पुरुष के जीवन की बुनियाद है और विद्यार्थियों का दृष्टिकोण और उनकी बुद्धि बनाये रखना चाहिए।

पृष्ठ 1 का शेष....दिल्ली से कठुआ वाया उन्नाव का परिणाम अब बलात्कारियों को मिलेगी सजा-ए-मौत

और उसके भाई के खिलाफ एफ.आई. आर. दर्ज की जाये। आरोप है कि अप्रैल, 2018 में मामला वापिस लेने के लिए विधायक की ओर से पीड़िता के पिता को धमकियां मिलीं। स्थानीय पुलिस पर आरोप है कि वह पीड़िता के पिता को उठा ले गई, जिसे विधायक के भाई ने बुरी तरह मारा–पीटा था। पुलिस ने उस पर अवैध हथियार का झूठा मामला दर्ज करके उसे 5 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया और फिर सरकारी अस्पताल में। सब ओर से न्याय न मिलने पर 8 अप्रैल को पीड़िता और उसके परिजनों ने जब लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया तो पुलिस, शासन और मीडिया हरकत में आया। दूसरे दिन अस्पताल में पिता की मौत हो गई। विधायक के भाई को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता और मीडिया की जोरदार व दमदार आलोचना के कारण उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने यह मामला 12 अप्रैल को, सी.बी.आई. को सौंप दिया, जिसने तेजी से कार्रवाई करते हुए अपराधी विधायक कुलदीप सेंगर को 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया। अब मामले पर सी.बी.आई. कार्रवाई कर रही है, पर इस उन्नाव बलात्कार कांड ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता के ग्राफ को धूल धूसित कर दिया है।

उन्नाव बलात्कार कांड के साथ ही जम्मू–कश्मीर राज्य के कठुआ कस्बे का जघन्य, बर्बरतापूर्ण बलात्कार कांड सामने आया। पीड़िता बेकरवाल जनजातीय समुदाय की 8 साल की बच्ची थी। आरोप है कि जनवरी, 2018 में जब वह जंगल में अपने जानवर चराने गई थी तो उसे अगवा करके एक मन्दिर में हफ्ते भर बन्द करके रखा गया, उसे बेहोश करके सामूहिक बलात्कार किया गया और अन्त में उसकी हत्या कर दी गई। यह सब इस इरादे से किया गया कि बेकरवाल जनजातीय समुदाय के लोग आतंकित होकर रासना इलाके से चले जायें। मुख्य आरोपी मन्दिर का रखवाला था। बाकी आरोपियों में दो पुलिस अफसर भी शामिल हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने चार लाख रुपये लेकर घटना के अहम् सबूत नष्ट कर दिये। राज्य सरकार की पुलिस ने तत्परता दिखाई और मुख्य आरोपी ने मार्च में आत्मसमर्पण कर दिया। हिन्दू एकता मंच ने जम्मू के भाजपा विधायक के नेतृत्व में रैली निकाली और इस बलात्कार हत्याकांड को हिन्दू–मुस्लिम का मामला करार देते हुए इसकी जांच सी.बी.आई. से कराने की मांग की। इस मार्च रैली में भाजपा के दो मन्त्रियों ने खुलकर भाग लिया और पीड़िता के वकील को भी धमकाया। इसमें जम्मू बार कौंसिल के वकील भी शामिल थे। इन वकीलों के शैताना कुकृत्य पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर उन्हें धमकाया और उनकी वकीलगीरी खत्म करने की चेतावनी भी दी। उधर भाजपा ने भी इस कठुवा बलात्कार कांड के आरोपियों का समर्थन करने वाले अपने दोनों मंत्रियों के इस्तीफे ले लिये।

उन्नाव व कठुवा में हुए अपराधों को अंजाम देने वाले जानते थे कि हमारी न्याय व्यवस्था खंडित हो चुकी है और जो थोड़ी बहुत बची हुई है भी, वह भी तोड़ी–मरोड़ी जा सकती है। इसलिए उनका विश्वास था कि वे सजा से बचे रहेंगे। दंड मुक्ति के इस विश्वास को पुख्ता करने के कई बयान आये। उन्नाव की घटना पर आरोपी के एक साथी विधायक ने कहा–''हो सकता है उसके पिता को कुछ लोगों ने मारा पीटा हो, पर बलात्कार के आरोप को मानने से मैं इनकार करता हूं।'' भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी (भाजपा प्रवक्ता) ने कहा–''कांग्रेस पहले अल्पसंख्यक–अल्पसंख्यक चिल्लायेगी, फिर दलित–दलित और अब 'औरत–औरत'। और फिर किसी तरह राज्य के मुद्दों का दोष केन्द्र पर मंढने की कोशिश करेगी।'' प्रधानमंत्री की चुप्पी ने दंड मुक्ति के भरोसे को और मजबूत किया। कठुआ में बच्ची की मौत और उन्नाव की घटना को लेकर काफी हंगामा मचने के बावजूद 13 अप्रैल तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। भाजपा के पदाधिकारियों ने एक जैसे बने बनाये बयान दिये, जिनमें, अफसोस, ग्लानि, दुःख जताने का एक भी शब्द नहीं था। दोनों घटनाओं में भाजपा ने आरोपों को झुठलाने और ध्यान बंटाने की ही कोशिश की। इससे भाजपा का ग्राफ और नीचे चला गया।

कठुआ और उन्नाव बलात्कार मामले को लेकर देश–विदेश में उठे बवाल के बीच संयुक्त राष्ट्र की महिला सशक्तिकरण की कार्यकारी निदेशक और संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव फूमजिल मलाक्वो कूका ने कहा कि उन्नाव में बलात्कार और कठुआ में नाबालिग की बलात्कार के बाद हत्या को घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की निन्दा महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है इस पर कार्रवाई। बलात्कार करना और बच्चे को मारना हमारी सांझा मानवता के बुनियादी पहलुओं को नकारना और उनका उल्लंघन है। कोई भी हत्या या बलात्कार तर्कसंगत नहीं है। दोनों पीड़िताओं के परिवारों ने नुकसान उठाया है, उन्हें न्याय का इन्तजार है।''

अपने चार दिन के विदेशी दौरे से लौट कर 21 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसमें उन्नाव व कठुआ बलात्कार व हत्याकांड के दोषियों को कठोर से कठोर दंड दिये जाने पर विचार किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में अपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 मंजूर करते हुए 12 साल से कम की बच्चियों से बलात्कार पर सजा–ए–मौत देने का फैसला लिया गया। अब सरकार इसके लिए अध्यादेश लायेगी। इस अध्यादेश में इन खास बातों को मंजूरी दी गई है।

1. महिला से बलात्कार में न्यूनतम सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है। इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है।

2. 16 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। इसे मौत तक कैद में बदला जा सकता है।

3. 16 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार में सजा को

सम्पादकीय का शेष....अम्बेडकरी कौन?

के कुछ लोगों ने उनके साथ और फिर उनके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यह खुशी की बात है, पर इससे यह कहां आभास निकलता है कि जो बौद्ध बन गये, वे ही बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के असली वारिस हैं, अनुयायी हैं, 'अम्बेडकराईट' हैं और शेष बचे बाकी दलित 'अम्बेकराईट' या उनके अनुयायी या वारिस नहीं हैं?

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने दलितोत्थान के लिए मूल मंत्र दिया था–''शिक्षित बनो, संगठित हों और संघर्ष करो।'' हमारी दृष्टि में बाबा साहब के इन मूल मंत्र को मानकर जो उस पर अमल करता है, वही उनका सही अनुयायी, वारिस और 'अम्बेडकराईट' है, जो इस माध्यम से बाबा साहब के सपनों को साकार करने में लगा है। जो व्यक्ति बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर, चीवर धारण करके दलितों से अलग होकर बैठ जाता है, अपने को सवर्ण समझने लगता है। वह तो डा. अम्बेडकर के 'दलितोत्थान' के मिशन से दूर भाग गया, तो फिर वह 'अम्बेडकराईट' कहां रह गया? उसका 'वारिस' और अनुयायी कहां रहा? उसने तो 'संघर्ष' का मुकाबला करने के स्थान पर 'पलायन' करके 'चीवर' धारण करके अपने को छुपाकर चुप बैठना ही 'श्रेयस्कर' समझा, और बाकी जो 'ब्राह्मणवाद' के खिलाफ डटकर आज भी बाबा साहब की तरह संघर्ष कर रहे हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वे 'अम्बेडकराईट' नहीं हैं?

दलित संस्कृति 'श्रम संस्कृति' है। उसने कभी मांग कर नहीं खाया, मेहनत करके खाया। यही मिसाल बाबा साहब के जीवन पर लागू होती है। उन्होंने सदैव 'श्रम' किया, मेहनत की, संघर्ष किया और कभी गिर कर अपनी 'अस्मिता' का समझौता नहीं किया। पर आज बुद्ध बन कर जो श्रवण संस्कृति को जीवित रखने के लिए भिक्षा का कटोरा उठाये घूम रहे हैं, वह 'दलित अस्मिता' का अनादर नहीं है तो और क्या है? क्या गुरु रविदास व सन्त कबीर की 'श्रम संस्कृति' उनकी 'भिक्षा संस्कृति' से सैकड़ों गुना बड़ी नहीं है?

– डा. सोहनपाल सुमनाक्षर

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

विवेक की बाती!

तुम पेड़ से तनो और
भीड़ की भेड़ मत बनो
विवेक की बाती को रखो सदा जलाए
चाहे आवें कितनी हवाएं
यहां कुछ लोग दूसरों की
पालकी के कहार हैं
हम शान से अपनी घोड़ी पर सवार हैं
कुछ लोग सिद्धांतों की करते हैं जुगाली
आदर्शों को ओढ़ते हैं बनाकर पुआली
जैसे ही जलती हैं संघर्षों की आग
वे मोम की भांति जाते हैं भाग
समझौता या समर्पण यही
उनके आखिरी हथियार हैं
ऐसे ही लोग दुनियावी व होशियार हैं
हमारे जैसे धारा के विरुद्ध बहने वाले
लोग ही अब व्यवहारहीन हैं
क्योंकि वही तो अवसरों के अलभ्य
उपहारों से क्षीण हैं
कारण, हम घास–फूंस की नाई
अंधड़ के सम्मुख
अपना सीना नहीं झुकाते हैं
भले ही प्रभंजन से उखड़
और उजड़ जाते हैं
एक चेहराहीन भीड़ मेरे
चारों ओर खड़ी है
यदि देश में लगती है आग तो लगे–
उसे क्या पड़ी है?
एक मैं हूं जो
आदमियत के गरूर को लेकर
गर्वित हूं
भले ही मैं भी ऐसी भीड़ की
भेड़ों से भयभीत हूं
जोकि संघर्षविमुख है
और गतानुगतिक भी
वे अपने सिर को खोकर
होकर अन्ध पदातिक हैं
अब मेरे जैसे सिरफिरे
ढूंढने पर ही मिलते हैं
क्योंकि सुविधाओं की स्पंज से
सबके होंठ सिले हैं
अब साक्षर ही राक्षस बन रहे हैं
क्योंकि वे भी अहंकार में तने हैं
वे विचारों के लिए कोई कीमत
देना नहीं जानते
आदर्शों के लिए आत्मोत्सर्ग को
वे कब हैं मानते
भगतसिंह ने विचारों की कीमत चुकायी
सुभाषचन्द्र बोस ने भी आदर्शों की
लौ सुलगाई थी
मैं उन्हीं के पथ का पथिक हूं
न भेड़ ना ही बधिक हूं
अब लोग गले से ऊपर–ऊपर
बातें करते हैं
चेहरे भी उनके लिपे–पुते हैं
हालांकि सबके सब
स्वार्थ के जुए में जुते हैं
ईर्ष्या की आग अब अंतर में
ज्वलित है
लेकिन आदर्शों की लौ कंपित है
अवसरवाद ही अब एकमात्र वाद है
आदर्शवाद ही अब अपवाद है
पूंजी ने क्रय कर लिया है ईमान
बाजार ही अब चला रहा इंसान
करेक्टर पर अब केरियर भारी है
तब राष्ट्र–निर्माण किसकी जिम्मेदारी है? **– धर्मचंद्र विद्यालंकार**

ताउम्र जेल किया गया है।

4. 12 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार पर न्यूनतम 20 साल की सजा या ताउम्र जेल या फिर मौत की सजा दी जा सकती है।

5. 12 साल से कम उम्र की बच्ची से सामूहिक बलात्कार पर ताउम्र जेल या मौत की सजा दी जायेगी।

6. सभी मामलों में जांच अनिवार्य रूप से दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी।

7. सुनवाई के लिए अधिकतम 2 महीने।

8. अपील को 6 महीने में निपटाना होगा।

9. 16 साल से कम उम्र की बच्ची से बलात्कार के मामले में अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं होगा।

• व्यवस्था में सुधार के तहत ये उपाय किये गये हैं–

(क) नये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये जायेंगे।

(ख) सरकारी वकीलों के नये पद घोषित होंगे।

(ग) सभी थानों और अस्पतालों में बलात्कार की जांच के लिए फोरेंसिक किट उपलब्ध कराई जायेंगी।

दिल्ली की निर्भया से लेकर उन्नाव व कठुआ की बच्चियों के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाओं ने देश के लोगों को संवेदनशील के साथ कर्त्तव्यनिष्ठ तो बनाया जिनके दबाव से बलात्कार से सम्बन्धित कानूनों में बदलाव लाया जा रहा है, पर इनसे न्याय तभी मिलेगा जब इन पर ईमानदारी से अमल किया जायेगा। •

हिमायती
4 / मई (प्रथम), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 मई, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 28 अप्रैल, 2018

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर का समाजवाद

राजीव आनंद

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर ने महात्मा जोतिबा फूले के शिक्षा संबंधी सोच को परिवर्तन की राजनीति के केन्द्र में रखकर संघर्ष किया और आने वाली नस्लों को जाति के विनाश का एक ऐसा मूल मंत्र दिया, जो सही अर्थों में सामाजिक परिवर्तन का वाहक बन सके।

डॉ. अम्बेडकर ने महात्मा फुले द्वारा ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरू किए गए अभियान को विश्वव्यापी बनाया, परंतु डॉ. अम्बेडकर के बाद उनकी राज्य समाजवाद की अवधारणा को कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनके जीवनकाल में किसी ने यह नहीं सोचा था कि अम्बेडकर के सिद्धांत को आधार बना सत्ता भी हासिल की जा सकती है। कांशीराम और मायावती ने सत्ता तो हासिल की, परंतु सत्ता का सुख भोगने वाली मायावती सरकार ने डॉ. अम्बेडकर के मुख्य सिद्धांत 'जाति का विनाश' को आगे बढ़ाया या जाति प्रथा को और सुदृढ़ किया, यह अलग से पड़ताल का विषय है।

'जाति का विनाश' पुस्तक के रूप में छपवाने की भी एक ऐतिहासिक कहानी है। दरअसल, लाहौर के जातपात तोड़क मंडल नामक संस्था ने डॉ. अम्बेडकर को जाति प्रथा पर भाषण देने का आमंत्रण दिया था। डॉ. अम्बेडकर ने अपना भाषण लिखकर भिजवा दिया, परंतु जातपात तोड़क मंडल के ब्राह्मणवादी कर्ता–धर्ता ने भाषण का विरोध करते हुए उसे संपादित कर पढ़ने की बात डॉ. अम्बेडकर से कही, जो डॉ. अम्बेडकर को मंजूर न था। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी भाषण सामग्री को पुस्तक रूप में छपवा दी जो 'दी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट' के नाम से आज भारतीय इतिहास की धरोहर है।

भारतीय समाज के दलित वर्ग में जन्म लेने के कारण जाति प्रथा के कटु अनुभव बाबा साहब को हुए थे और यही वजह है कि उनके सिद्धांत और दर्शन में दलित, अछूत, शोषित और गरीब ने जगह पाई। वे एक अछूत और मजदूर का जीवन जीकर देख चुके थे, उन्होंने कुली का भी काम किया तथा वे कुलियों के साथ रहे भी थे। उन्होंने गांव को वर्ण व्यवस्था की प्रयोगशाला कहा तथा शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरशन की ओर से संविधान सभा को दिए गए अपने ज्ञापन में भारत में तीव्र औद्योगीकरण का यह भाषण 'स्टेटस ऑफ माइनारिटीज' नाम से उनकी रचना में संकलित है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग के अतिरिक्त पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक आबादी, राज्य समाजवाद, भूमि का राष्ट्रीयकरण आदि कर रेडिकल अवधारणाओं को संविधान का अंग बनाना चाहते थे, परंतु मसौदा समिति का चेयरमैन होने के बावजूद वे यथास्थितिवादियों के विरोध के कारण इन्हें संविधान में पूरी तरह शामिल नहीं करवा पाए थे।

डॉ. अम्बेडकर कहा करते थे कि हर व्यक्ति, जो जॉन स्टुअर्ट मिल के इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। प्रसिद्ध समाजवादी विचारक मधु लिमये ने एक लेख में डॉ. अम्बेडकर लिखित पुस्तक 'जाति का विनाश' को कार्ल मार्क्स लिखित 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' के बराबर महत्व देते हुए लिखा था कि डॉ. अम्बेडकर जाति का विनाश चाहते थे, जिसके बिना न वर्ग का निर्माण हो सकता है और न ही वर्ग संघर्ष का। डॉ. रामविलास शर्मा ने ठीक लिखा है कि 'एक मजदूर नेता के रूप में डॉ. अम्बेडकर में जाति के भेद पीछे छूट गए थे।' उनकी राज्य समाजवाद की अवधारणा कृषि और उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व पर आधारित थी, जिसकी तुलना हम मार्क्सवादी अवधारणा से कर सकते हैं। डॉ. अम्बेडकर और मार्क्स की अवधारणाओं में अंतर सिर्फ समय सीमा का है। डॉ. अम्बेडकर समाजवाद की अवधारणा को सिर्फ संविधान लागू होने के समय से आगामी एक दशक के लिए चाहते थे, जबकि मार्क्स के राज्य समाजवाद में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि 'गरीबी हटाओ' के लोकलुभावने नारे के बावजूद गरीबी तो खैर क्या हटेगी, हां, दलित– आदिवासी–गरीब का जीवन दिन–प्रतिदिन दूभर होता जा रहा है। परंतु डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक निबंध 'स्माल होल्डिंस इन इंडिया एंड देयर रेमिडीज' में भारत में गरीबी के कारण और निवारण पर स्पष्ट विचार प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि भारत में जमीन पर जनसंख्या का बहुत अधिक दबाव है, जिसके कारण जमीन का लगातार विभाजन होता रहा है और बड़ी जोतें छोटी जोतों में बदलती रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप अधिक लोगों को खेत में काम नहीं मिल पाता है, बहुत बड़ी श्रम शक्ति बेकार हो जाती है और यह बेकार पड़ी श्रम शक्ति एक नासूर की तरह है, जो राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करने की जगह उसे नष्ट कर देती है। डॉ. अम्बेडकर ने इसका हल यह बतलाया कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने से यह समस्या हल हो सकती है। उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण से ही जमीन पर दबाव कम होगा और औद्योगीकरण से पूंजी और पूंजीगत सामान बढ़ने से जोतों का आकार खुद–ब–खुद बढ़ जाएगा। इसलिए डॉ. अम्बेडकर ने शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की ओर से संविधान सभा को दिए गए अपने ज्ञापन में भारत के तीव्र औद्योगिकरण की मांग करते हुए कृषि को राज्य उद्योग घोषित करने की मांग की थी।

बुद्धि के विकास को मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य मानने वाले डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि वे ऐसे धर्म को मानते हैं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए और यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म में विवेक, तर्क और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आज भारतीय दो अलग–अलग विचारधाराओं द्वारा शामिल हो रहे हैं। उनके

सुधारवादी संत श्री नारायण गुरु

● रजनीश

नारायण गुरु का जन्म दक्षिण केरल के एक साधारण परिवार में 26 अगस्त, 1854 में हुआ था। भद्रा देवी के मंदिर के बगल में उनका घर था। एक धार्मिक माहौल उन्हें बचपन में ही मिल गया था। लेकिन एक संत ने उनके घर जन्म ले लिया है, इसका कोई अंदाज उनके माता–पिता को नहीं था। भारत के अनूठे सुधारवादी संत–महात्माओं में से एक श्री नारायण गुरु के कारण हुआ है। श्री नारायण गुरु ने जमीनी स्तर पर सामाजिक व धार्मिक सुधार किए और केरल में ठोस तथा रचनात्मक सामाजिक सुधार लाने में सफल भी रहे। सामाजिक जड़ता के दौर में उन्होंने अद्वैत सिद्धान्त का प्रसार किया और 'भगवान के लिए सभी जन बराबर हैं', का सूत्र गुंजाया। नारायणा गुरु का जन्म केरल में तिरुअनंतपुरम से करीब 15 कि.मी. उत्तर–पूर्व में स्थित एक छोटे से गांव चेंपाजंती में 26 अगस्त, 1854 को हुआ था। उनके पिता मदन असन एक किसान थे। वे प्रसिद्ध आचार्य (गुरुकुल) और संस्कृत के विद्वान थे। श्री नारायण गुरु की मां एक सरल महिला थी। अपने माता–पिता की चार संतानों में एकमात्र बालक थे नारायणा अथवा 'नानू'।

नानू एक आम बालक की तरह पले–बढ़े। 5 वर्ष की आयु में उनें गांव के स्कूल में मलयालम में प्राथमिक शिक्षा के लिए भर्ती किया गया। वहां उन्होंने संस्कृत भी पढ़ी। प्राथमिक शिक्षा के बाद नानू ने घर पर रहकर खेती और घरेलू कामकाज में हाथ बंटाया। वे प्रतिदिन संस्कृत काव्य पाठ करते थे। वे मन्दिर में पूजा और एकांत में ध्यान भी करते थे। 14 वर्ष की आयु में वे ''नानू भक्त'' के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 15 वर्ष की आयु में माता के देहान्त के बाद उनके मामा कृष्ण वेदयार (आयुर्वेदाचार्य) ने उनकी देखभाल की। कृष्ण वेदयार को अपने भांजे की अप्रतिम प्रतिभा का जल्दी ही पता लग गया। अतः नानू के उच्च शिक्षा के लिए करूनगपल्लह में एक योग्य अध्यापक रमण पिल्लै असन के पास भेज दिया।

रमण पिल्लै एक सवर्ण हिन्दू थे। चूंकि नानू जन्म से अछूत था अतः उसे अपने गुरु के घर के बाहर रहकर अध्ययन करना पड़ा। नानू एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी सिद्ध हुआ और उसने अपने सभी साथियों से आगे निकलकर शिक्षकों के सामने संस्कृत में अपने विद्वता सिद्ध कर दी। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् 1881 में नानू अत्यधिक बीमार पड़ गये और उसे वापस घर लौटना पड़ा।

रोगमुक्त होने क बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में और आस–पास के क्षेत्रों में छोटे–छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यहीं से उन्होंने स्थानीय समाज के बालकों, विशेषकर पिछड़े वर्ग के बालकों में ज्ञान और शिक्षा का प्रसार आरम्भ किया। वस्तुतः यह दौर उनके जीवन में कड़े मानसिक संघर्ष का दौर रहा। एक ओर तो उन्हें परिवार के भरण–पोषण की चिंता करनी थी तो दूसरी ओर उनके भीतर आध्यात्मिक उन्नयन और यथार्थ के अनुभव को पाने की तीव्र उत्कंठा हिलोरें मार रही थी। उनके सब कामों पर उन्मुक्त आध्यात्मिक जीवन की तीव्र इच्छा की झलक दिखने लगी थी। अतः चिंतित रिश्तेदारों ने उनकी सोच में बदलाव की दृष्टि से उनके विवाह का निश्चय किया। 29 वर्ष की आयु में श्री नारायणा गुरु की इच्छा के विरुद्ध जबर्दस्ती उनका विवाह कर दिया गया।

काफी समय बाद श्री नारायण गुरु लोगों के बीच लौटे। वे गांव–गांव घूमे, जो भोजन मिला, उसे खाया, समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ रहे, पिछड़े वर्ग से घुले–मिले। सभी लोग उनसे प्रभावित हुए, उनके प्रति श्रद्धा जगी। हिन्दू मंदिरों में जिनका प्रवेश वर्जित था, वे इस मंदिर में निर्बाध आ सकते थे। मंदिर के ही निकट उन्होंने एक आश्रम बनाया तथा एक संगठन बनाकर मंदिर–संपदा और श्रद्धालुओं के कल्याण की व्यवस्था की। यही संगठन बाद में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम् (एस.एन.डी.पी.) के नाम से जाना गया, जो श्री नारायण धर्म का प्रचार करने लगा। 1904 में श्री गुरु ने क्विलोन (आज कोझीकोड) के एक तटीय उपनगर वर्कला में एक शांत, सुरम्य पर्वतीय स्थल शिवगिरि में अपनी सार्वजनिक गतिविधियां केन्द्रित की। 1928 में अपनी महासमाधि तक श्री गुरु ने यहीं रहकर साधना की थी।

श्री गुरु ने अलवाय में 1913 में अद्वैत दर्शन के प्रचार–प्रसार के लिए एक अद्वैत आश्रम की स्थापना की। यहां एक संस्कृति विद्यालय स्थापित किया गया। 1920 में त्रिशूल में उनके द्वारा स्थापित कारामुक्क् मंदिर में किसी देवता की प्रतिमा नहीं बल्कि एक दीपक स्थापित किया गया था, जिसका संदेश था–''चहुं ओर प्रकाश ही प्रकाश हो।'' 1922 में मुरुक्कुमपुझा में बनाए गए मंदिर में देव प्रतिमा की जगह, ''सत्य धर्म, प्रेम, दया'' लिखवाया गया था। 1924 में उनके द्वारा स्थापित अंतिम मंदिर कलवनकोड मंदिर में उन्होंने गर्भ गृह में एक दर्पण लगवाया। सामाजिक प्रगति के लिए श्री नारायण गुरु ने तीन उपाय सुझाए थे–संगठन, शिक्षा और औद्योगिक विकास आज केरल में दिख रहा सामाजिक–आर्थिक–शैक्षणिक विकास का श्रेय श्री नारायण गुरु और उनके द्वारा स्थापित श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था को जाता है। •

राजनीतिक आदर्श, जो संविधान की प्रस्तावना में इंगित हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को मान्यता प्रदान करते हैं और उनके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श इससे इनकार करते हैं।

डॉ. अम्बेडकर के बाद दलित राजनीति और दलित आंदोलन में डॉ. आंबेडकर की सामाजिक विचारधारा की अवहेलना इस कदर की गई कि दलित आंदोलन पथभ्रष्ट हो चुका है। आज मजदूर वर्ग के नेतृत्व की डॉ. अम्बेडकर की अवधारणा महज बौद्धिक विमर्श का विषय बनकर रह गई है। दलित विचारक मजदूर वर्ग के नेतृत्व के प्रश्न पर चुप्पी साधे हुए हैं। डॉ. अम्बेडकर शायद इसीलिए पहले ही कह गए थे कि जैसे मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। प्रत्येक विचार को पचार–प्रसार की जरूरत होती है।, जैसे किसी पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा रजि. कार्यालय : 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित। ❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।
सम्पादकीय कार्यालय : बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-110009